न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 73/11

1 गुरूसेवक सिंह आत्मज श्री दीवान सिंह, जाति जट सिक्ख, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 22.03 .2018

उपस्थिति : श्री महेन्द्र सोनी, वादी वकील

निर्णय

वादी की ओर से वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि वादी के खाते की आराजी पूर्व खसरा नं0 1730 रकबा 0–47 हैक्टर खसरा नं0 1735 रकबा 0–18 हैक्टर खसरा नं0 1754 रकबा 0–12 हैक्टर 1755 रकबा 0–12 हैक्टर खसरा नं0 1766 रकबा 2–31 हैक्टर खसरा नं0 1767 रकबा 0–22 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 3–42 हैक्टर स्थित है। जिस पर वादी काबिज काश्त था तथा वर्तमान में भी उसका कब्जा काश्त है। वादी की उपरोक्त आराजी में से खसरा नंबर 1766 व 1767 की भूमि उबड खाबड होने की वजह से उपरोक्त आराजी को वादी द्वारा समतल करवाने की तहसील से दिनांक 30–1–2006 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उसी के अनुसार वादी ने अपनी उपरोक्त आराजी 1766 व 1767 का रकबा समतल किया गया है जिसमें 1754 व 1755 रकबा समीप होने से तथा छोटा होने से उक्त भूमि भी समतल हो गई जिस पर वादी आज भी काबिज काश्त है।

राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के वादी की आराजी खसरा नं0 1754 व 1755 को वादी के खाते से विलोपित कर दिया तथा आराजी खसरा नं0 1766 का रकबा 1–31 हैक्टर कम दर्ज कर दिया गया जिसका कि उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं था। वादी द्वारा राजस्व अधिकारियों से उक्त त्रुटि दुरूस्त करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नही की जा रही है तथा वादी को उसके कमी किये गये रकबे से बेदखल करने पर आमादा है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी उपरोक्त आराजी को पूर्ववत खाता अनुसार अपने खाते में दर्ज करवाये इसलिये यह वाद पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 12–7–2011 को राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने से इन्कार करने पर उत्पन्न

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी

AC&EM. Kota

हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये लेन्डर होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि को दो माह अर्थात 60 दिन का धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत नोटिस दिया जाना संभव नही है इसलिए उक्त धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया जा रहा है जिसकों पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद का निस्तारणमेरिटस पर करने की कृपा करें। विवादित आराजी माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कैथून तहसील लाडपुरा में स्थित है। इस कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 1754 व 1755 पुनः वादी के खाते दर्ज की जावे तथा आराजी खसरा नं0 1766 का रकबा पूर्व की भांति 2–31 हैक्टर उसके खाते दर्ज किया जावे। उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश प्रसारित किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी को उसके खाते की आराजी से बेदखल नही करे और उसे शांति पूर्वक काश्त करने दे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करवावे।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् ग्राम कैथून 2061–64 संलग्न जवाब है। गुरूसेवक सिंह पुत्र दीवान सिंह जाति सिक्ख सा0 दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण संख्या 1113 न्यायालय आदेश दिनांक 13.07.2007से खसरा नम्बर 1766 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि धारा 90A अन्तर्गत सिवायचक सरकार दर्ज करने के आदेश हुये। नामान्तरकरण संख्या 1162 न्यायालय आदेश दिनांक 05.03.2008 से खसरा नम्बर 1754/0.12, 1755/0.12, 1766मि./0.50 कुल किता 3/0.74 हैक्टर भूमि सिवायचक खाता सरकार (90A) में दर्ज करने की स्वीकृति दर्ज रेकार्ड है।

प्रकरण के बहस अन्तिम में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पूर्व में वादी के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1754 व 1755 को पुनः वादी के खाते दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1766 की 1.31 हैक्टर आराजी पुनः जोडते हुये खसरा नम्बर 1766 का रकबा 2.31 हैक्टर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी वकील द्वारा उनके जवाब दावा को ही बहस माने जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये थे –

1 आया वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन यह है कि वो वर्तमान में विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार पूर्णतः असत्य कथन है। विवादित आराजी का रकबा वादी के खाते दर्ज नहीं है। इस प्रकार वादी का कथन असत्य होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2 आया राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से वादी के खाते से खसरा नम्बर 1754 व 1755 की आराजी को विलोपित कर दिया तथा खसरा नम्बर 1766 का रकबा 1.31 हैक्टर कम कर दिया जिसे वादी दुरूस्त करवाने एवं विलोपित तथा कम आराजी को स्वयं के नाम

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। मुताबिक राजस्व अभिलेख वादी द्वारा उनके खाते दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.12 हैक्टर, 1755 रकबा 0.12 हैक्टर तथा 1766 के 2.31 हैक्टर में से 1.31 हैक्टर का अकृषि कार्य में प्रयोग किये जाने से वादी के विरूद्ध 90-A की कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त आराजी को सिवायचक खाता दर्ज किया गया है जो पूर्णतः न्यायसंगत कार्यवाही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है क्योंकि वादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य आदि पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि वादी द्वारा कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। इस द्वकार वादी द्वारा स्वयं के कथन को सिद्ध नहीं कर पाने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3 आया विवादित आराजी का विलोपन एवं कमी न्यायालय के आदेशानुसार होने से वैधानिक है तथा दावा खारिज करने योग्य है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी के इस कथन के समर्थन में ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नम्बरान की जमाबन्दी संवत 2061–2064 (प्रदर्श–4) शामिल पत्रावली है। उक्त जमाबन्दी के कॉलम सं. 12 में स्पष्ट नोट अंकित है कि वादी द्वारा उनके खाते दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.12 हैक्टर, 1755 रकबा 0.12 हैक्टर तथा 1766 के 2.31 हैक्टर में से 1.31 हैक्टर का अकृषि कार्य में प्रयोग किये जाने से वादी के विरूद्ध 90-A की कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त आराजी को सिवायक खाता दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा धारा 90 ए–एल.आर. एक्ट की पालना प्रस्तुत करने का पत्र एवं सम्बन्धित नामान्तरकरण पंजिका की प्रति पेश की गई है, जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतिवादी के कथन की पुष्टि हो रही है। जिससे यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

4 अनुतोष ? वादी द्वारा उनके खाते से कम की गई आराजी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त कर पुनः उन्हीं के खाते दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा अपनी 90 ए की कार्यवाही के आधार पर विवादित आराजी को सिवायचक ही रखे जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा उनके खाते दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.12 हैक्टर, 1755 रकबा 0.12 हैक्टर तथा 1766 के 2.31 हैक्टर में से 1.31 हैक्टर का अकृषि कार्य में प्रयोग किये जाने से वादी के विरूद्ध 90-A की कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त आराजी को सिवायचक खाता दर्ज किया गया है जो न्यायसंगत कार्यवाही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22 मार्च, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक

AC&EM. Kota

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 गुरूसेवक सिंह आत्मज श्री दीवान सिंह, जाति जट सिक्ख, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

दावा बाबत : 88, 89, 91, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 73 / 11
निर्णय दिनांक : 22-03-2018

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–03–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णयानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 22.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		